

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिंह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 31/019

आर सी एम सए नं0 2019/00059

तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:-प्रार्थी

बनाम

- 1 हरिमोहन पुत्र रतिराम
 - 2 मुकेशी पुत्री रतिराम
 - 3 गुडडी पुत्री रतिराम
- समस्त जातियान मीना निवासीयान शंकरपुर डोरका
तहसील टोडाभीम जिला करौली

— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:- 1 श्री सुनील कुमार जिन्दल वकील अप्रार्थी नं. 1 ता 3

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय

दिनांक:-04.12.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 77 रकवा 0.15 है0 ग्राम शंकरपुर डोरका तहसील टोडाभीम में स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 46 रकवा 12 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नाला के रूप में दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2036 से 39 के खाता संख्या 1 में यह भूमि नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक 11.03.1983 से आवंटन होकर रत्तीराम पुत्र जोहरी के खातेदारी में दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 46 का नवीन खसरा नम्बर 77 बनाकर हाल जमाबंदी में अप्रार्थीयान 1 ता 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। इस प्रकार से यह अंकित हस्तान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 77 रकवा 0.15 है0 वाके ग्राम शंकरपुर डोरका को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नाला को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी,मिसल जमाबंदी सम्बत 2036 से 39 मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमाबंदी सम्बत 2071 से 2074 तक खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नं. 1 ता 3 जरिये वकालान्तन उपस्थित होकर जवाब पेश किया अपने जवाब कथन में भूमि 11.03.1983 को राजस्व अभियान में आवंटन होना स्वीकार करते हुए खातेदारी में नियमानुसार दर्ज रिकॉर्ड की गई है मौके पर किसी प्रकार का नाला आदी नहीं बना हुआ है भूमि पर अप्रार्थी का निरन्तर कब्जा है भूमि नियमानुसार जाँच पडताल करने के बाद आवंटन की गई है प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के अनुसार सही पेश किया गया है जिसकी ताहीद में साविक व हाल रिकॉर्ड सामिल पत्रावली है जिसमें भूमि गैर मु. नाला थी जिसे नियमन/आवंटन गलत तरीके से किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थीयान एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाब एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बन्त 2036 से 39 के खाता संख्या 1 में आराजी खसरा नं. 46 रकवा 12 विस्वा किस्म से गै0 मु0 नाला के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है जिसे दिनांक 11.03.1983 को गलत तरीके से आवंटन अप्रार्थी के नाम कर दी गई है और नामान्तरण संख्या 110 दिनांक 11.03.1983 से गैरखातेदार में दर्ज करते हुए बाद में खातेदारी अधिकार दिये जाकर खातेदारी दर्ज कर दी गई थी जिसके भूप्रबंध विभाग द्वारा हाल खसरा नं. 77 रकवा 0.15 है0 भूमि कायम की गई है। इस आराजी में से अप्रार्थी रत्तीराम पुत्र जोहरी को आराजी खसरा नं. 46 गैर मु. नाला के रकवे को नियमन कर खातेदारी में आवंटन से दर्ज कर दिया गया है जिसमें हाल रिकॉर्ड जमाबंदी सम्बन्त 2071 से 74 में अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज होकर कास्त कर रहे हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत उपनियम 1 ता 14 में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज गोचर, झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वतः ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय में उल्लेख किया है कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 77 रकवा 0.15 है0 ग्राम शंकरपुर डोरका तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बन्त 2036 से 2039 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

